न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– सुभाषचन्द्र (आर.टी.एस.) निर्णय दिनांक :– 21.10.2022

सरकार बनाम नरेश कुमार, सुरेश कुमार, पुत्र मुखाराम जाति गुर्जर निवासी गुढागौडजी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मुकदमा नम्बर :– 16/2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :– 21.10.2022

–: आदेश :–

पटवारी पटवार हल्का गुढागौडजी एंव भू.अ. निरीक्षक गुढागौडजी द्वारा रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गई है कि ग्राम गुढागौडजी के भूमि ख.न. 2828,2830 रकबा 3.68, 0.73 है. किस्म बा–3 व बंजड डोल में से 0.70 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी नरेश कुमार, सुरेश कुमार, पुत्र मुखाराम जाति गुर्जर निवासी गुढागौडजी द्वारा मौके पर फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण/ अतिक्रमी द्वारा दिनांक 15.09.2022 को स्वयं उपस्थिति होकर जबाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो निम्नप्रकार से हैः– यह है कि प्रार्थी को ग्राम गुढागौडजी के भूमि ख0न0 2828,2830 रकबा 0.70 है0 किस्म बजंड पर बाजरे की फसल कर अतिचार करने का नोटिस मिला है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा पूर्वजों के समय से लेकर आज तक चला आ रहा है। प्रार्थी व उसके पूर्वजों ने काफी वर्षो से उक्त भूमि पर काश्त करत आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रकरण संख्या 16/2022 को पुराना कब्जा मानते हुए व काश्त के आधार पर उक्त भूमि के नाम नियमन की सिफारिश करने की कृपा करें।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एंव पटवारी हल्का, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम गुढागौडजी के भूमि ख.न. 2828,2830 रकबा 3.68, 0.73 है. किस्म बा–3 व बंजड डोल में से 0.70 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी नरेश कुमार, सुरेश कुमार, पुत्र मुखाराम जाति गुर्जर निवासी गुढागौडजी द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक गुढागौडजी को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 3.50 का 50 गुणा 175/– रूपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एंव तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.10.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार गुढागौड़जी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.04 15:07:30 IST
Reason: SelfAttested